कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के पत्र क्रमांक एफ.६(१) परीक्षा क/प्राध्यापक- (स्कूल शिक्षा)/हिन्दी (छात्र)/2015—2016/1693 दिनांक 30.11.18 के द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा)—इतिहास के पे मैट्रिक्स लेवल L-12 पर चयनोपरांत संलग्न सूची में विवरणांकित अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप इन अभ्यर्थियों को प्राध्यापक इतिहास (स्कूल शिक्षा) के पद पर दो वर्षे के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोवेशनर ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) -इतिहास के रिक्त पदं पर पदस्थापित किया जाता हैं। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अविध में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.1 (12)डीओपी /ए-11 / 2005 दिनांकः 20.01.2006 एवं एफ.12 (06) एफडी (नियम) / 2005 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ 15 (1) एफडी / रूल्स / 2017 दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.17 के प्रावधानानुसार राज्य सेवा में कार्यरत चयनित अभ्यार्थियों को विद्यमान वेतन एवं नव चयनित कार्मिको को नियत पारिश्रमिक नियमानुसार देय होगा। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.8(1) कार्मिक / क-2 / 03 दिनांकः 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनकों कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओ पर कार्यवाही आवश्यक रूप से

स्निश्चित करेगे:-

अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा ही जारी किया गया हो जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमीलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए।" यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमीलेयर की श्रेणी में आता है तो उनको कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं वस्तुस्थिति की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भिजवाई जावे।

- 2 अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र माता पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना वांछित है। विवाहित महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जारी किया हुआ हो तो वह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, संबंधित अभ्यर्थी अपनी माता-पिता की आय के आधार पर जारी पिता के नाम से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगा। यदि संबंधित अभ्यर्थी ऐसा नहीं करता है तो उसे कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं वस्तुस्थिति की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भिजवाई जावे।
- 3 भरतपुर एवं धौलपुर जिले के जाट समुदाय वर्ग को राज्य अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल किये जाने सम्बंधी अधिसूचना दिनांक 10.01.2000 को माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा रिट पिटीशन संख्या डी.बी. सी. डब्ल्यू. एल. 6046/99 रतनलाल बागड़ी बनाम सरकार वं अन्य निर्णय दिनांक 10.08.2015 द्वारा निरस्त किये जाने के परिप्रेक्ष्य में शासन के कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक 17(9)कार्मिक / क-2 / 2015 के अनुसार उक्त निर्णय दिनांक 10.08.2015 से भरतपुर एवं धौलपुर के जाट समुदाय को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे किसी अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं करवायें।
- अभ्यर्थी के शैक्षिक / प्रशैक्षिक अंकतालिकाओं / प्रमाण पत्रों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाकर उनका मूल दस्तावेजों के साथ मिलान करें। संबंधित अभ्यर्थियों से मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित अभ्यर्थियों से विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.01.18 एवं माननीय सम्पूर्ण आयोग की बैठक दिनांक 05.03.18 द्वारा प्रदत्त निर्णयानुसार तलाकशुदा / विधवा महिलाओं से आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक स्थिति के अनुसार सम्बन्धित वर्ग का शपथ पत्र एवं अन्य नाम-उपनाम सम्बंधी शपथ पत्रादि प्राप्त करने के उपरांत ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे।
- सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल प्रति ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख मे सुरक्षित रखेंगे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा मे सेवारत हैं, उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तृत करना आवश्यक
- 6 कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित जिला पुलिस-अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत एव सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यभार ग्रहण नहीं करवावें। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा मे सेवारत हैं, उनके लिये सदाचरण रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक

नहीं होगा।

- 7 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी / ए-2 / 95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानो के फलस्वरूप कुल संतानो की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
- B जिन अभ्यिथीयों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यतां अर्जित की है उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से शपथ पत्र लेवें कि उनके द्वारा प्रस्तृत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं। दस्तावेज के त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व नोटिस के निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।
- 9 चयनित अभ्यर्थी विभाग की वेबसाईट http://education.rajasthan.gov.in/Secondary एवं http://rajrmsa.nic.in से नियुक्ति आदेश की प्रति डाउनलोड कर समस्त आवश्यक औपचारिकताऐं पूर्ण करते हुए संबंधित पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार करने हेतु अधिकृत होंगे।

जक्त नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1464-1466/2017 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम कैंग्टन गुरविन्दर सिंह व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.05.2017 के निर्णय एवं एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 8857 / 2017 अरविन्दकुमार व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिंग आदेश दिनांक 02.06.2017 के निर्णय के अध्यधीन रहने के साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या ४६९५–४६९९ / २०१८ रिशाल व अन्य वनाम आयोग व अन्य के अन्तर्गत एस.एल.पी. संख्या १४३०६–१४३१० / २०१७ पारित आदेश दिनांकः 03.05.2018 की अनुपालना में माननीय न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर प्राध्यापक स्कूल शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 2015 विषय **इतिहास** (छात्र) के पूर्व घोषित परिणाम दिनांकः 05.06.17 के अतिक्रमण में दिनांकः 14.06.18 को जारी किये गये नवीनतम परिणाम के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त अभिरतावना के आधार पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदरथापित स्थान पर दिनांकः 24.12.2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नही करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज सूचनाए सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएं समाप्त की

जा सकेगी।

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक— शिविरा / मा / संस्था / सी – 2 / नियुक्ति – इतिहास / पीएससी – 15 / 2018 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज जयपुर।

02. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) / कार्मिक (ग्रुप-2) विभाग, राज. जयपुर।

03. सचिव रोजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

04. रांबधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) / मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी / मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी 05. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुमाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर आदेश अपलोड करने हेतु

06. संबंधित शाला/संस्था प्रधान/प्रधानाचार्य राउमावि/राबाउमावि/संबंधित आशार्थी

07. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन / वरिष्ठता / ओएसी प्रभाग कार्यालय हाजा / निजी / रक्षित पत्रावली

रियुक्त निदेशक (कार्मिक) माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,

दिनांक- 14.12.2018

बीकानेर
राजस्थान,
Aler Aler
माध्यमिक
निदेशक,
कार्यालय

_						
	ाहुत् 	SIKAR	UDAIPUR	PALI	CHITTAUR GARH	BIKANER
दिनांक— 14.12.2018	पदस्थापन स्थान संस्थाति/सन्धरमाति जिल्ला	GOVT.GIRLS SR.SEC.SCH., MANIAROH, SHRI MADHOPUR (08130802310)(SRIMADHOPUR)	GOVT. SR.SEC. SCHOOL, KOTRA (08260606015) JHADOL (ST)	GOVT. SR.SEC. SCHOOL, BITHURA KALAN, MARVAR JUNCTION (08200602901)	GOVT. SR.SEC. SCHOOL, LAXMIPURA, CHITTAUR BADI SADRI (08291203202)	GOVT. SR.SEC. SCHOOL, ROJHA, LUNKARANSAR (08030204802)
	स्थायी पता	BC,WE,WD 07-07-1978 OBCF WD 1935 JHUNJHUNU विहार, झुझुनूं	मकान न– डी–633–34, रिको कॉलोनी, आबूरोड़– सिरोही	गंगासागर कॉलोनी, मारवाड़ ज.– पाली	मु—चैनपुरिया पोस्ट— करजू 1950 сыптокськн वाया— बड़ी सादड़ी— चित्तौडगढ	भीमसिंहपुरा पो—माजरा तह— नीमराना – अत्तवर
	BIRTHDATE क्टान्स XX MERT WO HOME_DIST स्थायी पता	энимуними 5			CHITTORGARH	1143 ALWAR
18/	WERT W	193	196	194		117
017	XX	W WD		2	JQ	8
-15/2	#, #	8 OBC	11 SCF	TS 67	87 STI	77 084
रससी-1	BIRTHDATE	07-07-197	30-06-197	26-05-197	30-03-198	02-07-1977 OBCM
ोहास / पीएससी	CTG	BC,WE,WD	SC,WE,WD	ST,WE,DV,RG 26-05-1979 STF DV 1941 PALI	ST,WE,DV 30-03-1987 STF	BC,DC
गंक-शिविरा / माध्य / संस्था / सी-2 / नियुक्ति-इतिहास / पीएससी-15 / 2017-18 /	FNAME .	TEJA RAM	GIRIRAJ SINGH MAURYA SC,WE,WD 30-06-1971 SCF WD 1965 SIROHI	GHEESU LAL MEENA	HEMRAJ RAWAT	VISHAMBER DAYAL
रिरा / माध्य / संस्था ,	NAME	1 406485 SUMAN KUMARI	2 557600 SUNITA MAURYA	3 495634 VIMLA MEENA	4 270060 SEEMA RAWAT	5 161832 KAPIL KUMAR
निसि	RNO	106485	557600	495634	270060	16183
119	~	1 7	7	m	4	S

(नथमल विदेश) १५५शक मह्यमिक शिक्षा